संख्या –2123 / V–2011–01(आ0) / 2011

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 02 दिसम्बर, 2011

विषयः चकराता रोड़ के चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले व्यवसायियों एवं आवासरत् व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य की अस्थायी राजधानी, देहरादून में यातायात के सुचारू संचालन हेतु घंटाघर पर स्थित अम्बेडकर जी की मूर्ति से प्रभात सिनेमा तक तथा दिग्विजय सिनेमा से कृष्णा सिनेमा तक 24 मी0 चौड़ी 4 लेन सड़क का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

2– उक्त निर्माण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा विस्थापितों के विस्थापन हेतु लोक निर्माण निरीक्षण भवन परिसर एवं आर0एफ0सी0 गोदाम परिसर घंटाघर देहरादून में व्यवसायिक भवन/काम्पलैक्स तथा आई0एस0बी0टी0 परिसर में स्थित प्राधिकरण की भूमि पर आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है ।

3– चकराता रोड चौड़ीकरण के विस्थापन के फलस्वरुप विस्थापितों के विस्थापन के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चकराता रोड के चौड़ीकरण के फलस्वरुप विस्थापितों के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किय। जाना सुनिश्चित करें:–

(1) चकराता रोड चौड़ीकरण से प्रभावित विस्थापितों को प्रभावित क्षेत्रफल के बराबर स्थान आवंटित किया जाए ।

(2) जिस सम्पत्ति में भवन मालिक अथवा किरायेदार वर्तमान में काबिज है, उन्हें उसी स्थिति में नव निर्मित स्थान पर विस्थापित किया जाए ।

(3) तोड़ी जाने वाली सम्पत्तियों एवं उसके एवज में दी जाने वाली सम्पत्तियों के पारस्परिक मूल्य का अन्तर विस्थापितों से नहीं लिया जाए ।

(4) भवन स्वामियों को नये स्थान पर आवास/दुकान आवंटित की जायेगी, जबकि किरायेदारों को Cost of Construction पर बिना लाभ हानि (no profit no loss) के आधार पर दुकान/आवास आवंटित किया जाए ।

(5) आवंटन लाटरी के माध्यम से न कर घण्टाघर के कमानुसार नए परिसर में राजपुर रोड की तरफ प्रवेश द्वार से किया जाए ।

(6) रजिस्ट्री, स्टाम्प–क्रय व अन्य विधिक खर्चे में आवंटियों को छूट प्रदान की जाए ।

(7) जिन नजूल धारकों द्वारा अपनी नजूल के पट्टे की भूमि को फ्री–होल्ड करने के लिए स्वमूल्यांकन से 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी है, को नए स्थान पर दुकान/आवास, अवशेष धनराशि पूर्व के सर्किल रेट के आधार पर या वर्ष 2000 में प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर जमा कराकर/फ्री–होल्ड कराकर आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जाए।

(8) आवासीय विस्थापन हेतु 44 वर्गमीटर के निर्मित आवास को ही विस्थापितों को आवंटित किया जाए ।

(9) ऐसे नजूल पट्टाधारक जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उन्हें शासनादेश संख्या–761/V/आ0–2011–01(एन0एल0)/2008टी0सी0, दिनांक 29 नवम्बर, 2011 में निहित व्यवस्था के अनुरुप फ्री–होल्ड की सुविधा प्रदान की जाए।

(10) ग्राउण्ड, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर स्थापित पार्किंग एवं अवशेष परिसम्पत्तियों को प्राधिकरण द्वारा पी0पी0पी0 मोड के आधार पर संचालित किया जाए तथा विस्थापन के उपरान्त आवासों को प्राधिकरण द्वारा भवन आवंटन नीति के अनुसार आवंटित किया जाए ।

(11) चौड़ीकरण के फलस्वरुप ध्वस्त होने वाली सम्पत्तियों के स्वामियों को उनकी अवशेष बचे भवन/भूमि पर भवन मानचित्र स्वीकृत कराने में प्राधिकरण द्वारा भवन उपविधि में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाए :–

(i) व्यवसायिक भूखण्ड के न्यूनतम आकार 125.00 वर्गमीटर के स्थान पर 15.00 वर्गमीटर एवं आवासीय भूखण्ड के न्यूनतम आकार 60 वर्गमीटर के स्थान पर 40 वर्गमीटर अनुमन्य किया जाए ।

(ii) एफ0ए0आर0 1.40 के स्थान पर 2.00 तक अनुमन्य किया जाए।

(iii) भवन की ऊंचाई 9.00 मीटर से 12.00 मीटर तक तथा अधिकतम तीन मंजिल तक अनुमन्य किया जाए।

(iv) ग्राउण्ड कवरेज 65 प्रतिशत के स्थान पर 85 प्रतिशत तक अनुमन्य किया जाए ।

(v) पार्किंग में पूर्ण रुप से छूट प्रदान की जाए।

(vi) फ्रण्ट सैट बैक वर्तमान में 4.50 मीटर के स्थान पर 2.00 मीटर अनुमन्य किया जाए। साईड एवं रियर सैट की आवश्यकता नहीं होगी।

(12) चकराता रोड के चौड़ीकरण हेतु यथावश्यकता अधिगृहण हेतु विधिक कार्यवाही की जाए ।

भवदीय,

(पी0सी शर्मा) 7/12/11
प्रमुख सचिव ।

संख्या–2123(1)/V–2011–01(आ0)/2011–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रभारी सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, को उनके पत्र दिनांक 22–11–2011 एवं पत्र दिनांक 30–11–2011 के क्रम में ।

(2) जिलाधिकारी, देहरादून ।

(3) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ ।

(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव के संज्ञानार्थ ।

(5) निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून ।

(6) सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।

(7) गार्ड फाईल ।

(पी0सी शर्मा)
प्रमुख सचिव ।